



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी लोकेन्द्र व आशीष को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों लोकेन्द्र पुत्र विजे व आशीष पुत्र लोकेन्द्र निवासीगण ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2022 में गोली मारकर वादी के पुत्र की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 230/2022 धारा 302/34 भादवि व मु0अ0सं0 246/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 247/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुए थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 06.06.2026 को मा0 न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों लोकेन्द्र व आशीष को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री राहुल नेहरा डीजीसी बागपत



है0का0 नीदू कुमार थाना बडौत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 06.06.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 179/26 धारा
64(2),123,77,115(2),352,351(3), 309(4),308(4) बीएनएस-2023 में
वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाना खेकड़ा के मु0अ0सं0 179/26 धारा 64(2),123,77,115(2), 352,351(3), 309(4),308(4) बीएनएस-2023 में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है। थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट – उपरोक्त अभियोग में धारा 34 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट की बढोत्तरी की गई है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-निरी0 श्री ओमप्रकाश आर्य थाना खेकड़ा जिला बागपत ।
- 2-म0उ0नि0 शीतल चौधरी थाना खेकड़ा जिला बागपत ।
- 3-म0है0का0 843 गायत्री थाना खेकड़ा जिला बागपत ।
- 4-का0 84 मोहित त्रिपाठी थाना खेकड़ा जिला बागपत ।
- 5-का0 164 नितिन कुमार थाना खेकड़ा जिला बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 06.06.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 66/2026 धारा 74/64(2) बीएनएस व 9m/10, 5m/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 66/2026 धारा 74,64(2) बीएनएस व 9m/10, 5m/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 06.06.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 98/26 धारा 333/74/75(2)/64(1)/62/351(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 98/26 धारा 333/74/75(2)/64(1)/62/351(2) बीएनएस में नामजद/वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ पुत्र तनवीर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-का0 1100 सुनील कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
- 3-हो0गा0 586 उदयवीर थाना रमाला जनपद बागपत